न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 116/2019 **दायर दिनांकः 02/08/2019**

उनवान

1. कजोड उम्र 50 वर्ष पुत्र शंकरलाल जाति बैरवा
2. मोतीलाल उम्र 70 वर्ष पुत्र रामलाल जाति बैरवा निवासीगण मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश उम्र 32 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा।
2. राधेश्याम उम्र 30 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा।
3. पुष्पदयाल उम्र 27 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा।
4. छोटी बाई उम्र 55 वर्ष बेवा छीतरलाल जाति बैरवा।
5. नन्दकुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र गंगाबिशन जाति कुम्हार।
6. महावीर उम्र 40 वर्ष पुत्र गंगाबिशन जाति कुम्हार।
7. चौथमल उम्र 37 वर्ष पुत्र गंगाबिशन जाति कुम्हार निवासीगण मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा।
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह हाडा।

आदेश दिनाकः 28/02/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज0 के खाता संख्या 11 का ख० न० 26/1 का रकबा 0.80 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.80 है० प्रार्थी क्रम 1 के व खाता संख्या 142 का ख0नं0 23 का रकबा 1.29 है0 कुल किता 1 रकबा 1.29 है0 आराजी प्रार्थी क्रम 2 के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। वाके ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज0 के खाता संख्या

10 की ख0नं0 19/628 का रकबा 0.75 है0 आराजी अप्रार्थी क्रम 1 ल 4 के शामलाती खाते व खाता संख्या 84 का ख0नं0 19 का रकबा 1.64 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.64 है0 आराजी अप्रार्थी क्रम 5 ल 7 के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। वाके ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज0 के खाता संख्या 247 का ख0नं0 19/716 का रकबा 0.34 है0 चारागाह अप्रार्थी क्रम 8 के खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिस पर अप्रार्थी क्रम 1 ल 7 अवैध कब्जा करके काश्त कर रहे है। प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी प्रार्थीगण के खाते की हे। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी तक ख0नं0 19/716 जो चारागाह अप्रार्थी क्रम 8 के खाते दर्ज है। पर होकर अप्रार्थी क्रम 5 ल 7 के ख0नं0 19 की मेड पर होकर हल कूली, बैलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यंत्र लाने ले जाने के रास्ते के लिये उपयोग में लेते चले आ रहे है। संलग्न मानचित्र में रास्ते को ABCDE मार्क से प्रदर्शित किया गया है। संलग्न मानचित्र प्रार्थना पत्र का एक भाग है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ पढ़ा जावे। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी तक आने जाने के रास्ते को अप्रार्थी क्रम 1 ल 7 द्वारा कब्जा करके ABCDE मार्क से प्रदर्शित रास्ते को खुलासा करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी क्रम 1 ल 7 ने रास्ता देने से मना कर दिया और लडाई झगडा करने पर आमादा हुये जिसकी वजह से प्रार्थीगण के खाते की आराजी पडत रहने की संभावना है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित प्रार्थीगण के खाते की आराजी तक आने जाने के ABCDE मार्क से प्रदर्शित रास्ते को खुलासा करवाया जाना संभव नहीं है। यदि ABCDE मार्क से प्रदर्शित रास्ते को खुलासा नहीं किया गया तो प्रार्थीगण के खाते की आराजी पडत रह जावेगी जिसकी वजह से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है। अस्तु प्रार्थीगण संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये ABCDE मार्क से प्रदर्शित रास्ते को अप्रार्थी क्रम 1 ल 7 से खुलासा करवाकर जितनी भूमि प्रार्थीगण रास्ते के लिए उपयोग में लेगें उतनी भूमि की डी.एल.सी. रेट से कीमत अप्रार्थीगण को देने को तत्पर है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू को अप्रार्थी क्रम 8 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवाद ग्रस्त रास्ता वाके ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है। जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त

है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित प्रार्थीगण के खाते की आराजी पर आने जाने कृषि यंत्र, ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये ABCDE मार्क से प्रदर्शित रास्ते को अप्रार्थी क्रम 1 ल 7 से खुलासा करवाने के आदेश अप्रार्थी क्रम 8 को दिये जावे तथा जितनी भूमि प्रार्थीगण रास्ते के लिए उपयोग में लेगें उतनी भूमि की डी.एल.सी. रेट से कीमत अप्रार्थीगण को देने को तत्पर है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 ल 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी क्रम 5 ल 7 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश का कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 10 बवक्त बहस मौखिक की जावेगी। प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है।

विशेष कथन

अप्रार्थीगण 5 ल 7 ने अप्रार्थीगण का कोई रास्ता नहीं रोक रखा है प्रार्थीगण का चारागाह भूमि ख0नं0 19/764 में होकर रास्ता है अप्रार्थी की भूमि में होकर कोई रास्ता नहीं है।

3. तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2022/39 दिनांक 07.01.2022 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी कजोड पुत्र शंकरलाल जाति बैरवा के खाते ग्राम मायथा में ख0नं0 26/1 रकबा 0.80 है0 व मोतीलाल पुत्र रामलाल जाति बैरवा निवासी मायथा के खाते ख0नं0 23 की रकबा 1.29 है0 पर आने जाने हेतु रास्ता ख0नं0 19/628 रकबा 0.75 है0 खातेदार ओमप्रकाश पत्र छीतरलाल जाति बैरवा व ख0नं0 19 रकबा 1.64 है0 खातेदार नन्दकिशोर पुत्र गंगाबिशन जाति कुम्हार वगै0 के मध्य स्थित ख0नं0 19/716 रकबा 0.34 है0 किस्म चारागाह में होकर कृषि यंत्र लाने ले जो हेतु रास्ता प्रस्तावित किया जाकर आगे ख0नं0 2/714, ख0नं0 20 व ख0नं0 19 की मेड से होते हुए ख0नं0 23 का रास्ता उचित रहेगा। तथा ख.नं0 26 का रास्ता आगे

की तरफ ख0नं0 20 व 26/717 की मेड से होते हुए ख0नं0 2 चारागाह में होते हुए 26 तक पहुॅच जायेगा।

4. अभिभाषकगण की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज0 के खाता संख्या 142 का ख० न० 23 का रकबा 1.29 है० आने जाने हेतु ख0नं0 19/716 चारागाह अप्रार्थी कम 8 की भूमि पर होकर एवं अप्रार्थी कम 5 ल 7 के ख0नं0 19 की मेड पर होकर हल कूली, बैलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जावे।

5. तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.01.2022, नजरी नक्शा, संलग्न विभिन्न खसरा नंम्बरान की जमाबंदियों आदि के आधार पर प्रार्थी कम 2 के ख0नं0 23 रकबा 1.29 है0 भूमि तक पंहुच हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने और ख00 19/716 किस्म चारागाह पव ख0नं0 19 की मेड से होकर परम्परागत रूप से गुजरना (बिना दर्ज रिकार्ड के) प्रतित हो रहा है। प्रार्थीगण को अपने खेत ख0नं0 23 तक पहुंच एवं कृषि यंजों को लाने ले जाने हेतु अन्तर्गत धारा 251 'ए' आर0टी0 एक्ट के तहत रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित है। अतः ख0नं0 19/716 व ख0नं0 19 से होकर ख0नं0 23 तक निम्न नक्शानुसार 4 मीटर चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जाता है।

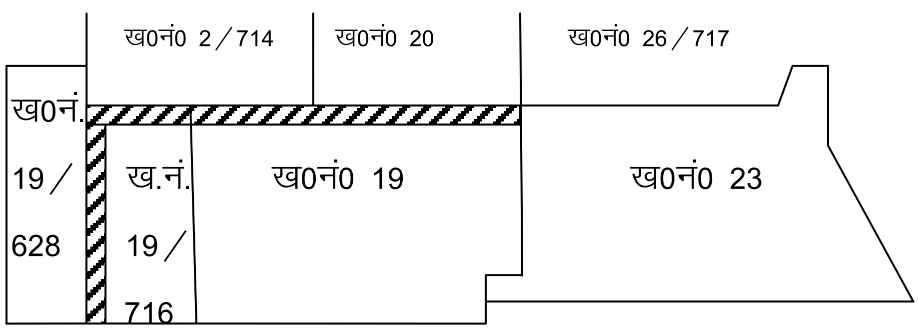

6. उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0 एक्ट स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मायथा तहसील अटरू के ख0नं0

19/716 रकबा 0.34 है0 एवं ख0नं0 19 रकबा 1.64 है0 में से ऊपर प्रदर्शित नक्शे अनुसार 4 मीटर चौडा रास्ता ख0नं0 23 तक उपलब्ध कराकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे। ख0नं0 19/716 किस्म चारागाह से रास्ता के रूप में दर्ज 4× 124=496 वर्ग मीटर यानी 0. 05 है0 चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु इतनी ही भूमि ख0नं0 23 में से चारागाह दर्ज की जावे। ख0नं0 19 में से दर्ज 4 मीटर चौडे रास्ते की भूमि का DLC दर से दुगुनी कीमत की राशि का भुगतान खातेदार नंदकुमार, महावीर, चौथमल पुत्रान गंगा बिशन कुम्हार को किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/02/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां